

२२¹⁰/₂₀₂₁ पत्रावली प्रशासन गांवों के संगे अभियान २०२१
के तहत गांव पंचायत पाण्डोली घट आयोजित
थिथिर से निस्कारण हेतु लायी गई। हभने

2020
00339

पत्रावली का अवलोकन किया। प्राथमिक
गांव पाण्डोली प० ह० पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़
स्थित कंपनी शक्रेदारी आरजी संख्या
५८९ मी रकबा ०.८५०७, ५९० रकबा ०.८७००
५९१ रकबा ०.१२००, ३१७८/५६६ मी रकबा ०.०३३१ हे०
भूमि की पत्थरगदी कराना चाहते हैं।

५६६ मी रकबा ०.०३३१ हे०

(श्याम सुन्दर विरनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)



फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (राज.)

बनाम _____

अन्तर्गत _____

कदमा _____

नं. _____

सन् _____

क्र.सं.	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>पत्रावली में सुलगन ग्राम पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ की नकल जमावगी सन्वत् 2068-2071 इन्जुलार इस्त द्वारा जारी प्राथमिक के रूप में की गयी है। इस्त: प्राथमिक का प्राथमिक पर इन्जुलार द्वारा 128 CR Set खींचा, किन्तु जब ग्राम पाण्डोली व 80 पाण्डोली तहसील चित्तौड़गढ़ (खिला इन्जुलार) लम्बा 489 मी रुबा 0.8407 490 रुबा 0.8700, 491 रुबा 0.1200, 3178/466मी रुबा 0.331 कीता 4 कुल रुबा 1.8638 हे० भूमि की बिना किसी के कब्जे में इन्जुलार कीर सेटलमेन्ट नम्बरे इन्जुलार पत्थरगढ़ी कीर जाने के आदेश दिए जाते हैं। कश्मिर शुल्क 1000 = 00 रुबा अर्थात् एक हजार रुबा प्राथमिक बहन करेंगे। पालनाथ तहसीलदार चित्तौड़गढ़ को लिख्य जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना देकर नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जावे एवं पालना रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। पत्रावली केवल शुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 उपखण्ड अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (राज.)